भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1515

दिनांक 27.11.2019 को उत्तर देने के लिए

एच-1 बी वीज़ा

1515. **सुश्री प्रतिमा भौमिकः**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियों के कारण एच-1 बी वीजा के लिए आवेदनों को रद्द किए जाने के मामलों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है जिनमें से इन्कार की सर्वाधिक दर प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के बीच है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या यू.एस. सिटिजनशिप और आव्रजन सेवाओं के एडजुडिकेटर ने वित्त वर्ष 2019 के प्रथम तीन तिमाही के दौरान ''प्रारंभिक'' नियोजन के लिए 24 प्रतिशत एच-1 बी याचिका को तथा ''निरंतर'' नियोजन के 12 प्रतिशत एच-1 बी याचिका को खारिज किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्या इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) एवं (ख) एच-1 बी वीज़ा कार्यक्रम में हाल में किए गए कुछ प्रशासनिक बदलाव जिसके तहत आवेदकों की ओर से और अधिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, के कारण विश्व भर में नियोक्ताओं के लिए एच-1 बी वीज़ा आवेदन प्रक्रिया और जटिल हो गई है, जिनमें भारतीय आईटी कंपनियां भी शामिल हैं। इन बदलाव के कारण सामान्य तौर पर एच-1 बी वीज़ा आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने पर प्रभाव पड़ा है जिसके कारण उच्चस्तरीय जांच आवश्यक हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़नशिप ऐंड इमीग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के नवीनतम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राजकोषीय वर्ष 2019 में कुल 1,16,031 प्रारंभिक अथवा नए एच-1 बी आवेदनों पर कार्रवाई पूरी की गई जिनमें से 27,707 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है जो लगभग 23.9 प्रतिशत है। उसी अवधि के दौरान रोजगार जारी रखने के लिए प्राप्त 209,884 एच-1 बी वीज़ा आवेदनों पर कार्रवाई पूरी की गई जिनमें से 24,725 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया जो 11.8 प्रतिशत है। तथापि, राजकोषीय वर्ष 2015 तथा 2018 के बीच कुल एच-1 बी वीज़ा आवेदनों में भारतीय राष्ट्रिकों की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत पर स्थिर रही।

भारत सरकार ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही जिनमें एच-1 बी वीज़ा कार्यक्रम से संबंधित पेशेवर भी शामिल हैं, से संबंधित मुद्दों पर सभी स्टोकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श किया है। इन मुद्दों को जून, 2019 में नई दिल्ली में विदेश मंत्री द्वारा अपने अमरीकी प्रतिपक्ष के साथ और सितंबर/अक्तूबर, 2019 में

वाशिंगटन डीसी में अमरीकी वार्ताकारों के साथ उठाया गया। इस बातचीत में हमने इस बात पर जोर दिया कि यह एक परस्पर लाभकारी साझेदारी रही है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

***